

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या – 07, जोधपुर महानगर।

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र कुमार, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल वाद संख्या 88/2019
एन.सी.वी. नंबर 69/2016
सुरेश झंवर बनाम धर्मेन्द्र वैष्णव वगैरा

प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति:—

श्री एन.के. मूंदड़ा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी

श्री उम्मेदसिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी

आदेश

दिनांक:— 22.08.2025

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी/वादी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद बाबत निरस्त करवाने बेचाननामा दिनांक 09.11.2009 स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है। वाद में वादी द्वारा यह अभिवचन किया गया था कि प्रतिवादी सं.01 द्वारा प्रतिवादी सं.02 सहित अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलावट करते हुए वादी के मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा सं. 268/2 रजिस्ट्री अनुसार एवं 268/2 मीन जमाबंदी में दर्ज अनुसार नवीन खसरा सं. 268/13 रकबा 01 बीधा 05 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम सरहद ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा फर्जी व कूटरचित आम मुख्त्यारनामा तैयार करते हुए वादी की उक्त संपत्ति को बेईमानीपूर्वक प्रतिवादी सं.02 को बेचान करते हुए बेचाननामा पंजीबद्ध करवा दिया। जिस मूल दस्तावेज आम मुख्त्यारनामे पर वादी के हस्ताक्षर फर्जी हैं, जिसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जारी रिपोर्ट से पुष्टि हो चुकी है। वादी का उक्त भूमि पर खरीद से लेकर वाद प्रस्तुत करते समय तक कब्जा रहा है एवं वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए अप्रार्थी सं.02 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि बेचाननामा दिनांक 09.11.2009 के जरिए कय की गई विवादित भूमि को मूल वाद के निर्णय तक किसी भी प्रकार से किसी अन्य को विक्रय या अंतरित नहीं करें।

3. प्रार्थी/वादी ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि दिनांक 11.07.2017 को वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी सं.02 द्वारा वादी के कब्जे वाली भूमि पर पूर्व दिशा में बने हुए ढालिये को तोड़कर निर्माण कार्य करवाया गया है जबकि वादी ही उक्त संपत्ति का मालिक काबिज है। दिनांक 05.08.2021 को प्रतिवादी सं.02 द्वारा जबरन न्यायालय की अनुमति के बिना मौके की स्थिति परिवर्तित करते हुए मौके पर एक कमरे व पानी के हौद का पक्का निर्माण करवा लिया एवं व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ कर दीं, विद्युत विभाग से विद्युत संबंध प्राप्त कर लिया। इस प्रकार प्रतिवादी सं.02 के कारित कृत्य के परिणामस्वरूप वादी द्वारा सूचना के अधिकार के

तहत विद्युत विभाग से प्रतिवादी सं.02 द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने बाबत दस्तावेजों की मांग की गई। परंतु प्रतिवादी सं.02 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सूचना नहीं देने का निर्देश दिया। हस्तगत वाद जायदाद के बेचाननामे के निरस्तिकरण के संबंध में है एवं स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का भी है। प्रतिवादी सं.02 द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति के मौके पर निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं। अतः वादी परिवर्तित परिस्थितियों में अपने वादपत्र में वाद की पद सं.14ए निम्न प्रकार जोड़ना चाहता है:—

14 ए— यह है कि दिनांक 11.07.2017 को वादी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अवेध एवं गैरकानूनी तरीके से वादी के कब्जे वाली भूमि पर पूर्व में बने हुए ढालियों को तोड़ कर निर्माण कार्य करवा लिया। उसके बाद उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वर्ष 2018—2020 विभिन्न प्रकार से कई प्रकार का अलग—अलग श्रेणी में निर्माण कार्य करवाया गया। वास्तविकता में दस्तावेजों के आधार पर वादी ही उक्त सम्पत्ति का मालिक एवं काबिज है। इसी अनुक्रम में दिनांक— 05.08.2021 को वादी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अवेध एवं गैरकानूनी तरीके से वादी के कब्जे वाली भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अवेध एवं जबरन कब्जा करने की नियत से न्यायालय की अनुमति के बिना मौके की स्थिति परिवर्तित करते हुए कब्जा करते हुए वहां पर पक्का निर्माण करवा लिया जिसके तहत एक कमरे, पानी का होद सहित अन्य निर्माण करवा दिया है साथ ही भूमि पर व्यावसायिक गतिविधिया भी प्रारम्भ कर दी और वाहन की धुलाई का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया एवं लाभांश भी अर्जित किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 न्यायालय की अनुमति के बिना और न्यायालय को ध्यान में लाये बिना ही विद्युत कनेक्शन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० से लिया है। उपरोक्त तथ्यों की जानकारी वादी को दिनांक 05.08.2021 एवं उसके बाद दिनांक 16.08.2021 को हुई। प्रतिवादी संख्या 2 के कारित कृत्य के परिणाम स्वरूप वादी द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० से उक्त विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में सूचना अधिकार के तहत कनेक्शन की सूचना की मांग की तब प्रतिवादी संख्या 02 विभाग (जो. वि. वि.नि. लि.) को सूचना नहीं देने का निर्देश दिया और परिणामस्वरूप उक्त विभाग द्वारा वादी से उसके द्वारा चाही गई सूचना देने से मना कर दिया है। उपरोक्त तथ्यों की जानकारी वादी को दिनांक 06.06.2022 को हुई। मौजूदा वाद की प्रश्नगत जायदाद कृषि भूमि रकबा 1 बीघा खसरा संख्या 268/2 (रजिस्ट्री अनुसार), (268/2 मीन, जमाबंदी में दर्ज अनुसार) (268/13 नया संशोधित खसरा संख्या) जिसका सम्पत्ति विक्रय का दस्तावेज दिनांक 09.11.2009 को प्रतिवादी 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में निष्पादित बेचाननामा, जो फर्जी आम मुख्तारनामा के आधार पर ही निष्पादित किया हुआ है, जिसमें वादी के फर्जी हस्ताक्षर किये होने की पुष्टि सम्बन्धित विभाग एफ.एस.एल रिपोर्ट से हो चुकी है, और जो प्रारम्भ से ही शुन्य है और उस बेचाननामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मौजूदा वाद विचारण के दरम्यान जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० से लिया गया विद्युत कनेक्शन भी शुन्य कनेक्शन एवं अवेध कनेक्शन घोषित किया जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वादग्रस्त जायदाद पर वादी द्वारा मौजूदा मूलवाद दायर करते वक्त किसी भी प्रकार का विद्युत कनेक्शन अस्तित्व में नहीं था।

14 बी— वादी को दिनांक 05.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त जायदाद रकबा 1 बीघा कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने के बाद उसमें व्यावसायिक गतिविधिया प्रारम्भ कर दी है और जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय हाजा से किसी भी प्रकार से अनुमति प्राप्त नहीं की है और इसी जायदाद पर प्रतिवादी संख्या 2 ने मौजूदा मूलवाद के विवादित बेचाननामा के आधार पर ही अपने मालिक बताते

हुए विधुत कनेक्शन लिया है जिसके सम्बन्ध में यथासम्भव वादी द्वारा सम्बन्धित विभाग से जानकारी अर्जित करने के बाद भी विभाग द्वारा आज दिन तक जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है लेकिन मौके पर वादग्रस्त जायदाद पर प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है इस बात की पुष्टि विभाग द्वारा की गई है। वादी द्वारा जोधपुर विधुत वितरण निगम लि० से सूचना के अधिकार के तहत की गई कार्यवाही एवं जवाब इस प्रार्थना पत्र के साथ में सलग्न है। मौजूदा वाद की प्रश्नगत जायदाद कृषि भूमि रकबा 1 बीघा खसरा संख्या 268/2 (रजिस्ट्री अनुसार), (268/2 मीन, जमाबंदी में दर्ज अनुसार) (268/13 नया संशोधित खसरा संख्या) को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनी दीगर व्यक्ति को निर्माण कार्य करवाते हुए एवं विधुत कनेक्शन लगवाते हुए वास्ते उपयोग उपभोग रुपये 25000/- पच्चीस हजार माहवारी लाभांश के फलस्वरूप अर्जित कर रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा बालाजी सर्विस सेंटर के नाम से वाहन धुलाई एवं रिपेरिंग का कार्य किया जा रहा है। भौतिक कब्जा प्रतिवादी 2 के बिनाय पर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पास ही है। प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा स्वीकृत रूप से अवैध कब्जा की श्रेणी में ही आता है और वाद के विचारण के दरम्यान ही किया गया है। अतः वादी प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा किया गया अवैध कब्जा को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करता है।

4. इसी प्रकार वाद पत्र के पद सं.21 अनुतोष में वादी डी-1 व डी-2 के रूप में निम्न प्रकार से अनुतोष जोड़ना चाहता है:-

डी-1. यह है कि वादग्रस्त जायदाद के सम्बन्ध में प्रतिवादी के गैर जिम्मेदाराना कृत्य से उक्त परिसर को सारवान् रूप से हुई नुकसानी के रूप में आवश्यक क्षतिपूर्ति भी प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही उक्त प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी के नाम से लगा विधुत कनेक्शन को हटाया जावे।

डी-2 कि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी द्वारा नियुक्त व्यक्ति से माहवारी रुपये 25,000/- पच्चीस हजार का लाभांश प्राप्त कर रहा है वह भी दिनांक 05.08.2021 से वादी को प्रतिवादी संख्या 2 से दिलवाया जावे। साथ ही प्रश्नगत भूमि का भौतिक कब्जा भी प्रतिवादी संख्या 2 से वादी को दिलवाया जावे।

5. उक्त वाद प्रारम्भिक अवस्था में है तथा वांछित संशोधन मौजूदा वाद में न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक व सुसंगत है अन्यथा पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्यता उत्पन्न होगी। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित वांछित संशोधन वादपत्र में किये जाने की अनुमति दिलाये जाने की प्रार्थना की गई। प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी/वादी सुरेश झंवर का शपथपत्र पेश किया गया।

6. अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं.02 ने वादग्रस्त संपत्ति बेईमानीपूर्वक खरीद नहीं की है बल्कि विधिवत पंजीयन विभाग से बेचाननामा पंजीबद्ध करवाकर मौके का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त किया है एवं बेचाननामा दिनांक 09.11.2009 से लेकर आज दिन तक उक्त भूमि पर काबिज है। न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2016 को इस प्रकार इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि :-

“परिणामतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पर अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह उसके द्वारा बेचाननामा दिनांक 09.11.2009 के द्वारा कय की गई विवादित भूमि को

मूलवाद के निर्णय होने तक किसी भी प्रकार से किसी अन्य को विक्रय या अन्तरित न करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध खारिज किया जाता है।”

7. अतः जब वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादी सं.02 का ही कब्जा था एवं इस तथ्य का उल्लेख प्रतिवादी सं.02 ने अपने जवाब दावे में भी किया है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2016 को विवाद्यक सं.08 इस प्रकार विरचित किया गया था कि आया प्रतिवादी सं.02 ने वादग्रस्त भूमि पर 2009 से ही कब्जा कर दो भुजा की लंबी बाउंड्री करवाई गई एवं दो भुजाओं पर पट्टियां रूपवाई गई हैं। अतः कब्जे के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। इस प्रकार प्रतिवादी सं.02 के कब्जे के संबंध में न्यायालय में जवाब दावे के दौरान अभिवचन किये गये थे, इसी कारण यह विवाद्यक विरचित किया गया था क्योंकि प्रतिवादी सं.02 अपनी खरीदशुदा संपत्ति का उपयोग उपभोग करने के लिए पूर्ण हकदार है, विद्युत संबंध भी प्राप्त करने का प्रतिवादी सं.02 का हक है। अतः इसी हक अधिकार के तहत वर्ष 2009 से निरंतर आज दिन तक प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण व सुधार कार्य करवाये जाते रहे हैं तथा समय-समय पर प्रतिवादी सं.02 द्वारा अपने उपयोग उपभोग के अनुसार कार्य करवाये जाते रहे हैं, जिसके लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं थी क्योंकि न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। वादी उक्त वांछित संशोधन के जरिए अपने वाद की प्रकृति को ही बदलना चाहता है। जबकि वादी का वाद कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के जरिए वांछित संशोधन वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक व सुसंगत नहीं होने से प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई। जवाब के समर्थन में प्रतिवादी पुखराज पालीवाल का शपथपत्र पेश किया गया।

8. उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा मूल वाद बाबत निरस्त कराने बेचाननामा दिनांक 09.11.2009 तथा स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुए उक्त बेचाननामा दिनांक 09.11.2009 को निरस्त किये जाने, जमाबंदी से प्रतिवादी सं.02 का नाम हटाये जाने एवं वादी के वादग्रस्त संपत्ति के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी नहीं दिये जाने तथा वादग्रस्त स्थल की मौके की भौतिक स्थिति में किसी प्रकार का निर्माण परिवर्तन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किये जाने की आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया था जिसका वादोत्तर प्रतिवादी सं.02 द्वारा प्रस्तुत करते हुए जवाब दावे की पद सं.02 में यह अभिवचन किया गया था कि प्रतिवादी सं.02 द्वारा खरीद की गई भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं.02 के पास ही है एवं प्रतिवादी सं.02 द्वारा खरीद के पश्चात मौके पर पट्टियां लगवाई गई थीं तथा दो भुजा की लंबी चारदीवारी तथा दो भुजाओं पर पट्टियां लगवाई गई थी एवं खरीद के समय से ही वर्ष 2009 से प्रतिवादी सं.02 का मौके पर कब्जा है। उक्त अभिवचनो के आधार पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2016 को विवाद्यक भी विरचित किये गये थे, जिसमें विवाद्यक संख्या 08 इस आशय का विरचित किया गया था कि आया प्रतिवादी सं.02 ने वादग्रस्त भूमि पर 2009 से ही कब्जा कर दो भुजा की लंबी बाउंड्री करवाई गई व दो भुजाओं पर पट्टियां रूपवाई गई हैं। अतः कब्जे के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। इस प्रकार उभय पक्षों के मध्य जहां वादी वादग्रस्त संपत्ति का स्वयं का कब्जा होना प्रकट करते हुए वाद लेकर प्रस्तुत हुआ था वहीं प्रतिवादी द्वारा खरीद दिनांक 09.11.2009 से निरंतर वादग्रस्त भूखंड पर मालिक काबिज होना अभिकथित किया गया था एवं इन्ही अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक संख्या 08 विरचित किया गया था तब प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 05.08.2021 व वर्ष 2018 से 2020 में प्रतिवादी सं.02 द्वारा मौके पर अवैध एवं जबरन कब्जा कर न्यायालय की अनुमति के बिना मौके की स्थिति में परिवर्तन कर कब्जा कर मौके पर निर्माण कर लिये जाने से प्रार्थनापत्र

के जरिए वांछित संशोधन के संबंध में यह कतई नहीं कहा जा सकता कि वादी को उक्त तथ्यों की जानकारी नहीं रही हो बल्कि जवाब दावा प्रस्तुत करने के समय से ही उक्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थी/वादी को रही थी। प्रकरण में वर्ष 2016 में विवाद्यक भी विरचित किये जा चुके हैं। तत्पश्चात वादी साक्षियों के शपथ पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के जरिए वांछित संशोधन इस प्रकृति के संशोधन नहीं हैं, जिसकी जानकारी दिनांक 05.08.2021 को अथवा प्रार्थनापत्र में वर्णित अन्य दिनांक व समय पर वादी को नहीं हुई हो बल्कि यह तथ्य जवाब दावा प्रस्तुत होने के समय से वादी के ज्ञान में रहा था। इस प्रकार के संशोधन अनुज्ञात किये जाने से वाद की प्रकृति में ही आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादपत्र में वांछित संशोधन बाबत प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

9. अतः प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विरुद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.02 के अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा प्रार्थना पत्र पक्षकारान् अपना अपना वहन करेंगे।

10. आदेश आज दिनांक 22.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-07,
जोधपुर महानगर